ZONE 37

(G)

उपाध्यक्ष कार्यालय
1854-A
8/5/12

Main Identity

From: "ved prakash gupta" <vpgmcd@gmail.com>
To: <ltgovdelhi@nic.in>; <ltgov@nic.in>
Cc: <vcdda@dda.org.in>; <emdda@dda.org.in>
Sent: Monday, May 07, 2012 10:19 AM
Attach: DDAMpd-21.docx
Subject: Suggestion regarding revision of MPD-2021

AC (PLG) MPPR
Dairy No. 2293
Dated 10/5/12

Plz consider

Email secured by Check Point

for
q/n

C(Plg.)-II

Commr. (Plg) - II
Despatch 1774
Date 9-5-12

9/5/12

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 3083
Dated 14/5/12

AC(MPR)

10/5/2012

Dir(MPR)

16/5

P.T.O. pls.

AD(Pl)I

वेद प्रकाश गुप्ता
सदस्य मास्टर प्लान-2021, उपखण्ड इन्डस्ट्रियल एस्पक्ट,
4/10, जयदेव पार्क, नई दिल्ली-26
(मोद्र) 9899164646

07-05-2012

आदरणीय तजेन्द्र खन्ना जी,

वि-ेय :- मास्टर प्लान-2021 के पुर्नावलोकन के लिए सुझाव

1. गाँवों का विकास सर्वोपरि है। गाँव के लिए रिडवल्पमैन्ट योजना बनाई जानी अति आवश्यक है। गाँव में स्कूल, हस्पताल, पार्क, समुदाय भवन, सीवर, पानी, बरसाती नालों इत्यादि की व्यवस्था की जाए एवं गाँव के लिए व्यवसायिक व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा सके तभी वहां पर भवनों के नक्शे व सम्पत्ति कर लागू किया जाए।

2. गाँव की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढाया जाए व भुमि अधिग्रहण के बदले में प्लाट भूमिहार को दिये जाये ताकि वह अपने बच्चों के लिए रोजगार स्थापित कर सके।

3. पुरानी मार्कीटों जैसे नया बाजार, चावडी बाजार, सदर बाजार, श्रद्धानन्द मार्ग, रूई की मण्डी, करोल बाग इत्यादि स्थानों पर भण्डारण ֺ;जवतंहम - ֶतमीवनेपदह) बन्द कर दिया गया है। उन्हें नरेला, होलम्बी, खेड़ा, बादली, समय पुर इत्यादि पर बने गोदामों को नियमित कर जगह दी जाए।

4. गाँवों में गोदाम इत्यादि बनाने की अनुमति दी जाए।

5. पार्किंग की समस्या को देखते हुए स्टीलट इत्यादि आवश्यक कर दी जाए।

6. फार्म हाऊस जोकि लगभग 3000 के करीब है उनमें से कुछ नियमित है और कुछ अनियमित है सबको पास कर दिया जाए व उसमे निर्माण का एफ ए आर बढाया जाए।

7. मैट्रो कोरिडोर व मुख्य मार्ग को व्यवसायिक का दर्जा देकर मास्टर प्लान के अनुसार एफ ए आर 1.5 गुणा कर दिया जाए।

8. अनियमित कालोनी, गाँव व स्पेशल एरिया की तर्ज पर नियमित (चचतवअमक) कालोनियों में भी उपविभाजन की अनुमति दी जाए।

9. उद्योगिक ईकाइयो में आई टी इन्डस्ट्री व 24 मीटर सडक पर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति होने के कारण उद्योगिक ईकाई के तल की उचाई की सीमा 4.5 मीटर से कम की जाए।

10. बारात घरो इत्यादि का एफ ए आर बढा कर डेढ गुणा कर दिया जाए।

11. मकानो के आगे की बालकोनी .75 मिटर से बढाकर 2 मीटर कर दी जाए।

12. मास्टर प्लान के अनुसार विस्थापितों को दिये गए डबल स्टोरी क्वाटरो को चार मंजिल बनाने की अनुमति दी जाए।

13. मास्टर प्लान के अनुसार सभी उद्योगिक क्षेत्रों को 30 मीटर चौडी सड़को के साथ जोड़ा जाए।

14. 20 नवनिर्वमति, गैर नियोजित उद्योगिक क्षेत्रो जिने एक वर्ष के अन्दर अपने पूर्नविकास की योजना विभाग में दाखिल करनी थी व उन्हे नियमित उद्योगिक क्षेत्र घोषित करना था का कार्य अभी नियमितीकरण का इन्तजार कर रहा है। उसे तुरन्त नियमित उद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए।

15. दिल्ली में पानी की उपलब्धता 805 एम जी डी से बढ़ाकर 940 एम जी डी की जाए।

16. यमुना में गिरने वाले बरसाती नालें जिनमें सीवर का पानी बहता है को यमुना में गिरने से पहले शुद्धीकरण की व्यवस्था के लिए ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाए ताकि यमुना को मैला होने से रोका जा सके।

वेद प्रकाश गुप्ता
पूर्व उपनेता सदन

माननीय तजेन्द्र खन्ना जी,
उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार